# 103 सूरए अल अस्र

□ □□□□□-दर्शन आधारित आलोचनात्मक विश्लेषण
**सूरए अल-असर (103:1-3)**
**"नमाज़े-अस्र की क़सम… बेशक इन्सान घाटे में है…"**

---

### 1. प्रतिज्ञा (Pratijna - Proposition)

**इस सूरह में यह प्रतिज्ञा की गई है कि "हर इंसान घाटे में है", सिवाय उनके जो:**

1. **ईमान लाएं,**
2. **अच्छे कर्म करें,**
3. **सत्य की सलाह दें,**
4. **और सब्र की वसीयत करें।**

---

### 2. हेतु (Hetu - Reason)

**यहाँ तर्क दिया गया है कि:**

- **अस्र की नमाज़ (या समय) की क़सम खाकर यह सिद्ध किया गया कि समय का गवाह है कि अधिकांश मनुष्य घाटे में हैं।**
- **केवल वे ही लाभ में हैं जो विशेष धार्मिक रूप से 'ईमान लाते हैं', और 'हक़ की बात' करते हैं।**

□ **न्याय-दर्शन की दृष्टि से:**

- **इस तर्क का आधार विशेष संप्रदायिक धारणा पर रखा गया है – कि "ईमान" लाना ही लाभ से बचने का उपाय है।**
- **जबकि न्याय-शास्त्र में सत्य की सार्वभौमिक परिभाषा, प्रमाण, और कर्तव्यबुद्धि से कर्म का मूल्यांकन किया जाता है, न कि किसी विशेष "ईमान" या धर्म के आधार पर।**

---

### 3. उदाहरण (Udaharana - Example)

**मान लीजिए:**

- **एक व्यक्ति सच्चरित्र है, सत्यनिष्ठ है, पर वह कुरानिक "ईमान" की परिभाषा से सहमत नहीं।**
- **वह न्याय, करुणा, तप और दान के मार्ग पर चलता है, पर किसी धर्म विशेष को नहीं मानता।**

 क्या ऐसा व्यक्ति "घाटे " में माना जाएगा ?
**न्याय-दर्शन के अनुसार नहीं।**
** भगवद्गीता (5.18) —**
**"विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि... पंडिताः समदर्शिनः"**
**(ज्ञानी जन हर प्राणी में एकसमान आत्मा देखते हैं – कोई भी घाटे में नहीं जब तक वह विवेकपूर्ण कर्म करता है।)**

---

### 4. उपनय (Upanaya - Application)

**इस सूरह का तात्पर्य यह है कि केवल उन्हीं का जीवन सार्थक है जो:**

- **एक विशेष ईमान रखते हैं,**
- **और सब्र व हक़ की बात करते हैं।**

** यह कथन सर्वमान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्याय-दर्शन के सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत से टकराता है, जिसमें धर्म या संप्रदाय से परे सभी मनुष्यों के कर्म, सत्य और तर्क का मूल्यांकन होता है।**

---

**5. निगमन (Nigamana - Conclusion)**

**इस सूरह में विचार की संकीर्णता है।**

- **"घाटे" की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई।**
- **नैतिकता को एक विशेष विश्वास प्रणाली से जोड़ दिया गया।**
- **जबकि न्याय-दर्शन में केवल प्रमाणिक तर्क, आत्मा का धर्म और कर्म की न्यायिकता को मान्यता दी जाती है।**

---

## □ तुलनात्मक सारणी :

| तत्व | सूरए अल-असर | न्याय-दर्शन की दृष्टि |
|---|---|---|
| घाटे की अवधारणा | सब मनुष्य घाटे में हैं | घाटा-लाभ कर्म पर आधारित होता है |
| समाधान | विशेष "ईमान", अच्छे कर्म | युक्तियुक्त व्यवहार, प्रमाण आधारित कर्म |
| नैतिकता की कसौटी | संप्रदाय विशेष आधारित | सार्वभौमिक, धर्मातीत विवेक |
| प्रमाण का प्रकार | क़सम आधारित कथन | प्रत्यक्ष/अनुमान/शब्द द्वारा परीक्षण |

## □ निष्कर्ष (Conclusion – सूरए अल -असर आयत 1–3):

**यह सूरह मानवता को "घाटे" के सामान्यीकरण के द्वारा भयभीत करती है और मुक्ति के लिए केवल "ईमान" को अनिवार्य शर्त मानती है।**
**परंतु न्याय-दर्शन में किसी भी धारणा को प्रमाण और तर्क के बिना स्वीकार नहीं किया जाता।**

□ अतः यह □□□ **तर्कहीन सामान्यीकरण, धार्मिक पक्षपात, और प्रमाण का अभाव के कारण न्याय-दर्शन के दृष्टिकोण से अमान्य मानी जाती है।**

**यदि आप चाहें, तो अगली सूरह (जैसे सूरए अल-हुमज़ह) का विश्लेषण भी इसी न्याय-शास्त्रीय शैली में किया जा सकता है।**